

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004

का.आ. 20(अ).— दिनांक 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना में सां0आ0 1124 (अ0) में पृष्ठ 5 और 9 पर कॉलम 4 में क्रम सं0 9 में “ 2003-2004” ,2004-2005 और 2005-2006 के स्थान पर “ 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007” पढ़ा जाए ।

[सं. 2-2004/फा. सं. एन.सी.-163/2002]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)